

27.08.18

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची उपस्थित। जिल
पीहलीन अधिकारी के विरुद्ध आक्षेप लगाकर यह प्रार्थना
पत्र मुंबई जिला पेश किया गया है, उसका खानाबख्त अन्वेषण हो
जाया है एवं इसके पीहलीन अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण
किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो
जाया है। अतः यह प्रार्थना पत्र मुंबई जिला पेश किया
जाया है। निर्यात की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजाई
जावे। पत्रावली फसल शुमार होकर बाद तकमील
दाखिल रहता है।


जिला कलक्टर
मुंबई